संख्या-26/2019/90 ई-2/तेरह-2019-110/2016

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 14 फरवरी, 2019

विषय:-मेसर्स धामपुर आसवनी, बिजनौर द्वारा एस0डी0एस0 के कैप्टिव उपभोग पर वर्ष 1991 से 1995 तक जमा परचेज टैक्स की धनराशि को जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-84/दो-805ए(रिट)/2005, दिनांक 05 नवम्बर, 2018 तथा संख्या-जी-106/दो-805ए(रिट)/2005, दिनांक 07 जनवरी, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका सं0-1031/1995 धामपुर शुगर मिल्स बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-03-1999 जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील दिनांक 22-07-2003 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका दिनांक 08-05-2015 एवं पुनर्विचार याचिका दिनांक 04-02-2016 को खारिज की जा चुकी है, के अनुपालन में मेसर्स धामपुर आसवनी, बिजनौर द्वारा वर्ष 1991 से वर्ष 1995 तक परचेज टैक्स के मद में जमा धनराशि रू0 65,74,247/- (रू0 पैसठ लाख चौहत्तर हजार दो सौ सैंतालिस मात्र) वापस करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उक्त धनराशि की वापसी संबंधित कोषागार से जमा धनराशि की पुष्टि के पश्चात ही की जाएगी।

4- इस संबंध में जमा धनराशि की वापसी वर्ष 2018-19 के लेखा शीर्षक "0039-राज्य उत्पाद शुल्क-00800-अन्य प्राप्तियां-90 घटायें वापसियां-00" के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in